

20.5.2025

2025/209

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
बलवन्त बनाम भैराराम आदि

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

रिस्टर प्रकरण संख्या 153 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.04.2025	<p>वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल वादपत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते तल्बी प्रतिवादीगण आईन्दा तारीख 06.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">06.5.2025</p> <p style="text-align: center;"> <i>कुलीए फरकन उ.प.शत/PU माह. 2025</i> <i>पत्रावली पत्रावली</i> <i>दिनांक 3.7.2025</i> <i>पेश के</i> </p>	
20.5.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना कर. भिखार पेकी देखा करने पर पत्रावली को पेकी में लिखा गया वकील वादी ने लिखित छिपा छि जाऊया में राखीनामा होने के कारण वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा प्रियति में जारी करवाना चाहते हैं। अतः वाद-पत्र मौजूदा प्रियति में जारी लिखा जाता है। पत्रावली वास्ते से काम की पत्रावली 9.5 नदीक नकल के लिये दाखिल करवा हो।</p>	<p>बलवन्त</p> <p>जुडो</p> <p>K</p> <p>होमना 24/5/25</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

